"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2015— आश्विन 8, शक 1937

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2015

आदेश

क्रमांक 9399/3167/21-ब/छ.ग./15. — राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक 8826/2594/21-ब/छ.ग./15 दिनांक 09-09-2015 तथा संशोधित आदेश क्रमांक 8876/2594/21-ब/छ.ग./15 दिनांक 10-09-2015 के द्वारा श्री अनिल कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संविदा दर पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के अवधि के लिए अथवा वर्तमान विधि आयोग की अवधि तक के लिए सचिव पद पर नियुक्ति किया गया है.

श्री अनिल कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग के सचिव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 दिनांक 31-12-2012 एवं संशोधन अधिसूचना दिनांक 05-07-2014 एवं 23-08-2014 के अनुसार उक्त पद पर कार्यकाल के दौरान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी.

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7 दिनांक 24-08-2015 के द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ एवं आगजनी की घटनाएं तथा स्वामी अग्निवेश के साथ घटित घटना की न्यायिक जाँच हेतु अस्थाई रूप से विशेष जॉच आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक सचिव के पद पर नियुक्त किया है गठित विशेष न्यायिक जाँच आयोग के सचिव के रूप में मात्र यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.